5

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः– 6 / प्राक्क01–1145 / 2024– 801   पटना, दिनांक :– 22.4.25

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय–राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत सुपौल जिला के प्रखंड–छातापुर, पंचायत–छातापुर में शवदाह प्लेटफॉर्म, चहारदीवारी, पहुँच पथ, रिटेनिंग दीवार, जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन के निर्माण कार्यों हेतु 355.906 लाख रूपये (तीन करोड़ पचपन लाख नब्बे हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

2. राज्य के सुपौल जिला के प्रखंड–छातापुर, पंचायत–छातापुर में स्थित श्मशान घाट पर मूलभूत सुविधाएं यथाः–शेड, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सुपौल जिला के प्रखंड–छातापुर, पंचायत–छातापुर में आम लोगों को शव की अन्तिम क्रिया करने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए सुपौल जिला के प्रखंड–छातापुर, पंचायत–छातापुर में शवदाह प्लेटफॉर्म के साथ अन्य कार्य यथाः– चहारदीवारी, पहुँच पथ, रिटेनिंग दीवार, जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन आदि कार्यों के लिए 355.906 लाख रूपये (तीन करोड़ पचपन लाख नब्बे हजार छः सौ रूपये) मात्र की योजना पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जायेगा।

3. इस योजना में शवदाह प्लेटफॉर्म, चहारदीवारी, पहुँच पथ, रिटेनिंग दीवार, जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन का कार्य शामिल है। योजना में निर्माण होने वाले कार्यों की कुल प्राक्कलित राशि 355.906 लाख रूपये (तीन करोड़ पचपन लाख नब्बे हजार छः सौ रूपये) मात्र है। इस योजना का तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा दिया गया है।

4. प्रस्तावित योजना में होने वाला व्यय योजना राज्य योजना बजट के निम्नवत् शीर्ष से किया जायेगा। राशि का व्यय बजट का मुख्य शीर्ष–4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष– 0102–श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास, विपत्र कोड–36–4215028000102–विषय शीर्ष–53.01–मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सुपौल होगें, जो योजना के क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण संहिता के अनुरूप गतिविधियों का सम्पादन करेंगें।

6. अनुमोदित राशि का उपयोग केवल योजना के अनुमोदित मदों में ही किया जायेगा और इस पर कोई विचलन नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अभियंता–प्रमुख–सह विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

8. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/3758/वि0 दिनांक–31.05.17 निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त है।

10. इस पर विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक –6/प्राक्क01–1145/2024– 801 पटना, दिनांक :– 22.4.25

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग/आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव कोषांग/बजट पदाधिकारी/मुख्य अभियन्ता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/अधीक्षण अभियंता (मो0)/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल/प्रशाखा–6/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)